

# न्यायालय कलेक्टर रायपुर, जिला रायपुर (छ0ग0)

(प्रकरण कं. 21 अ/59 वर्ष 2021-22)  
ग्राम लामाण्डी प.ह.नं. 65 तहसील रायपुर  
जिला रायपुर (छ0ग0)

उच्यस्त,

छ.ग. प्रदेश कंवर (आदिवासी)  
समाज विकास समिति,  
जिला रायपुर (छ.ग.)

विरुद्ध

छ0ग0 शासन

// आदेश //

(पारित आदेश दिनांक 3.1.10/2022)

आवेदक छ.ग. प्रदेश कंवर (आदिवासी) समाज विकास समिति टाटीबंध के पत्र क्रमांक 02/छ.ग.प्र.कं. स.वि.स./2021 रायपुर, दिनांक 12/01/2021 के द्वारा ग्राम-लामाण्डी, प.ह.नं. 65, तहसील-रायपुर, जिला-रायपुर में स्थित शासकीय भूमि खसरा नं. 706/1 रकबा 2.651 हे. मे से 7500 वर्गफुट भूमि को सामाजिक भवन एवं अन्य सामाजिक कार्य के लिये आवंटन हेतु मांग किया गया है।

प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायपुर से जाँच प्रतिवेदन मंगाया गया। प्रकरण में प्रक्रिया अनुरूप ईशतहार का प्रकाशन किया गया। विभागीय अभिमत प्राप्त किया गया।

संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर छ0ग0 के पत्र क्रमांक/1814/नग्रानि/23/4/2021 रायपुर दिनांक 28.01.2021 के अनुसार ग्राम लामाण्डी आवेदित खसरा का रायपुर विकास योजना पुनर्विलोकित 2021 अनुसार भू-उपयोग आवासीय, आमोद, प्रमोद एवं मार्ग है। अतः रायपुर विकास योजना पुनर्विलोकित 2021 में मार्ग अंतर्गत भूमि को छोड़कर सशर्त अनापत्ति प्रदान किया गया है। रा.नि. के स्थल जांच प्रतिवेदन में आवेदित भूमि आवासीय प्रयोजन के अंतर्गत होना पाया गया है।

जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 27.09.2022 को आहूत की गई। बैठक में सर्वसम्मति से आवेदित भूमि ग्राम-लामाण्डी, प.ह.नं.- 65, तहसील-रायपुर, जिला-रायपुर में स्थित शासकीय भूमि खसरा नं. 706/1 रकबा 2.651 हे. मे से 7500 वर्गफुट भूमि घांस दर्ज को शासन के निर्देशानुसार 15 प्रतिशत प्रावधानित दर पर आवंटित किये जाने हेतु अनुशंसा किया गया है।

छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर नवा रायपुर के पत्र क्रमांक 4-66/सात-1/2020 अटल नगर, नवा रायपुर दिनांक 16.10.2020 के अनुसार पंजीकृत सामाजिक संस्था को भूमि आवंटन के संशोधित दर 15 प्रतिशत के अनुसार प्रव्याजी :- 46,35,050/-रु. का 15 प्रतिशत = 6,95,258/-रु., एवं भू-भाटक वर्तमान सामान्य भू-भाटक 0.30 प्रतिशत का 50 प्रतिशत वार्षिक भू-भाटक :- 695258X0.30 प्रतिशत = 2,086/-रु. का 50 प्रतिशत = 1,043/-रु.।

अतः शासन के उक्त आदेश के परिपेक्ष्य में उपरोक्तानुसार आंकलित राशि एकमुश्त उचित शीर्ष में जमा कराये जाने के शर्त के साथ आवेदक सामाजिक संस्था को आवेदित भूमि ग्राम-लामाण्डी, प.ह.नं.- 65, तहसील-रायपुर, जिला-रायपुर में स्थित शासकीय भूमि खसरा नं. 706/1 रकबा 2.651 हे. मे से 7500 वर्गफुट भूमि को निम्नांकित सामान्य एवं विशेष शर्तों के अध्याधीन आवंटित किया जाता है।

  
कलेक्टर  
रायपुर

.....02.....

निम्नलिखित शर्तों निम्नानुसार रहेंगे :-

1) भूमि का उपयोग निर्धारित प्रयोजन से भिन्न अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा। यदि ऐसा किया जावे तो यह आबंटन आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा तथा आबंटिती को अनाधिकृत कब्जेदार मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जावेगी।

2) भूमि या उसके किसी भाग का ऊपर उल्लेखित उपयोग के अलावा किसी अन्य व्यक्तियों को उपयोग करने हेतु नहीं दिया जावेगा, उसका हस्तांतरण नहीं किया जायेगा और ना ही किसी अन्य प्रकार से किसी अन्य उपयोग के लिए दिया/उपलब्ध कराया जायेगा।

3) यदि उक्त भूमि का उपयोग विहित प्रयोजन के लिए नहीं होता है या बाद में कभी बंद दिया जाता है, तो भूमि, उस पर निर्मित संपत्तियों के साथ, शासन में स्वमेव निहित हो जावेगी और आबंटिती को उसका मुआवजा देय नहीं होगा और न ही भूमि में लगाई गई कोई भी लागत या राशि वापस होगी।

4) भूमि के किसी भी उपयोग या उस पर किसी भी निर्माण के पूर्व, संबंधित विभागों से यथा लोक निर्माण विभाग, संचालक नगर तथा ग्राम निवेश योजना इत्यादि से अनापत्ति प्राप्त करना/औपचारिकताओं की पूर्ति कराना अनिवार्य होगा।

5) उक्त भूमि या उसके किसी भाग का उपयोग स्वीकृत मास्टर प्लान के अनुसार ही किया जा सकेगा। किसी अन्य उपयोग के लिए नहीं हो सकेगा। यदि भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन के लिए किए जाने पर अनाधिकृत कब्जेदार मानकर शासन में निहित कर ली जावेगी।

6) शासन के प्रतिनिधि/अधिकृत व्यक्ति कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन निरीक्षण करने के लिए आबंटित भूमि एवं उस पर निर्मित परिसर के निरीक्षण का अधिकार होगा।

7) भूमि के संबंध में किसी भी माननीय न्यायालय के आदेश यदि कोई हो तो आवेदक को उसका पालन करना आवश्यक होगा।

8) निर्माण कार्य 02 वर्ष के भीतर पूर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

9) उपरोक्त उल्लेखित शर्तों का पालन नहीं होने की स्थिति में अनुमति पत्र स्वतः निरस्त माना जावेगा।

  
कलेक्टर  
रायपुर

रायपुर, दिनांक 31/10/2022

पृ0कमांक/ 268 /भू-आबंटन/2022

प्रतिलिपि:-

1- सचिव, छ0ग0 शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर नवा रायपुर (छ0ग0) को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

.....03.....




## Subsidiary Rule 19 &amp; 23 Under Treasury Rule 10

Challan Only Paid in to the State Bank of India Main Branch, Raipur Treasury

(खजाने में इसकी एक या दो या तीन नकल जैसा कायदा हो पेश करना चाहिये)(Code No.-07002)


(To be presented at the Treasury single or duplicate or triplicate as the case may be)

By whom brought कौन लाया	On what Account किस बायत्	Under Rupees In words कितने रूपयों के अंदर 1,044	Amount रकम	
			Rs.	P.
अध्यक्ष, छ.ग. प्रदेश कंवर (आदिवारी) समाज विकास समिति, जिला रायपुर (छ.ग.)	मू-भाटक  प्र.क्र-21/अ-58 वर्ष 2022-23, आदेश दिनांक 31. 10.2022 ग्राम-लामाण्डी, प.ह. नं.-65 तहसील- रायपुर, जिला-रायपुर, खसरा नम्बर 706/1 का भाग, रकबा 7500 वर्गफुट		1,043	00
		Total मीजान	1,043	00
In Words- <b>One Thousand FortyThree Rupees Only</b>				
Head Of Revenue	0029 - मू-राजस्व 101 - मू-राजस्व कर	Details तफसील		
Major head	0005 - मू-राजस्व पर अधिभार	Notes नोट		
Detailed head		Cash नगदी		
		Total मीजान		
Certified that the amount shown above have been entered in departmental Registered to the head of revenue deposit.				
Date :- ____/____/2022	W.B.N.  Departmental Officer Tahsil Office/Raipur	Signature of Tenderer दाखिल करने वाले के द.		
खजाने में इस्तेमाल के लिए FOR USE IN TREASURY				
Examined	Received Rs (in figures) - 1043/- Rs (in words) - One Thousand FortyThree Rupees Only.		Entered no.	
Initial of Accountant	Signature of Treasurer		Signature of Accountant	
Date ...../...../20.....	Treasury officer		Seal	

Subsidiary Rule 19 &amp; 23 Under Treasury Rule 10

Challan Only Paid in to the State Bank of India Main Branch, Raipur Treasury  
(खजाने में इसकी एक या दो या तीन नकल जैसा कायदा हो पेश करना चाहिये)(Code No.-07002)

(To be presented at the Treasury single or duplicate or triplicate as the case may be)

By whom brought कौन लाया		On what Account किस बाबत		Amount रकम		
अध्यक्ष, छ.ग. प्रदेश कंवर (आदिवासी) समाज विकास समिति, जिला रायपुर (छ.ग.)		प्रब्याजी (प्रीमियम)  प्र.क्र-21/अ-58 वर्ष 2022-23, आदेश दिनांक 31. 10.2022 ग्राम-लाभाण्डी, प.ह. नं.-65 तहसील- रायपुर, जिला-रायपुर, खसरा नम्बर 706/1 का भाग, रकबा 7500 वर्गफुट		Under Rupees In words कितने रूपयों के अंदर  6,95,259	Rs.	P.
					6,95,258	00
				Total मीजान	6,95,258	00
In Words- Six Lakhs NinetyFive Thousand Two Hundred FiftyEight Rupees Only						
Head Of Revenue	0029 - मू-राजस्व	Details तफसील				
Major head	800 - अन्य प्राप्तियों	Notes नोट				
Detailed head	0014 - नजूल मूमि से प्राप्त प्रब्याजी	Cash नगदी				
		Total मीजान				
Certified that the amount shown above have been entered in departmental Registered to the head of revenue deposit.						
Date :- ____/____/2022		 <b>W.B.N.</b> Departmental Officer Tahsil Office/Raipur		Signature of Tenderer दाखिल करने वाले के द.		
खजाने में इस्तेमाल के लिए FOR USE IN TREASUR						
Examined	Received				Entered no.	
Initial of Accountant	Rs (in figures) - 695258/- Rs (in words) - Six Lakhs NinetyFive Thousand Two Hundred FiftyEight Rupees Only.				Signature of Accountant	
	Signature of Treasurer					
Date ...../...../20.....				Treasury officer		Seal